



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खंड (ii)  
PART II—Section 3— Sub-section (ii)

16/8  
3/10/97

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 393 ]  
No. 393 ]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 9, 1997/आषाढ़ 18, 1919  
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 9, 1997/ASADHA 18, 1919

पर्यावरण और वन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जुलाई, 1997

का० आ० 494(अ).—केन्द्रीय सरकार ने भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० आ० 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना निर्दिष्ट किया गया है) द्वारा तटीय क्षेत्रों को तटीय विनियमन क्षेत्र (सी आर जैड) के रूप में घोषित किया गया था और उक्त क्षेत्र में उद्योगों, संचालनों और प्रक्रियाओं के स्थापन और विस्तार पर प्रतिबंध अधिरोपित किए थे,

और कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार का ध्यान स्थानीय लोगों को होने वाली कठिनाइयों की और तथा तटीय क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए भी आकृष्ट किया है;

और इन मुद्दों को भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा परीक्षित किया गया है तथा अन्य सम्बद्ध प्राधिकारियों से चर्चा की गई है;

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना संशोधित की जानी चाहिए;

और पर्यावरण (संरक्षण)नियम, 1986 के नियम 5 का उपनियम (4) यह उपबन्धित करता है कि "उपनियम (3)में किसी बात के अन्तर्षिष्ट होते हुए भी जब कभी केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि ऐसा करना लोक हित में है तो यह उक्त नियम के उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिव्यक्ति प्रदान कर सकेगी";-

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उक्त अधिसूचना के संशोधन के लिए उक्त नियमों के नियम 5 के उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन सूचना की अपेक्षा से अभिव्यक्ति दिया जाना लोक हित में है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) और (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खण्ड (V) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्वोक्त अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है:—

2. उक्त अधिसूचना के पैरा 2 में —

- (1) उप-पैरा (ii)के अन्त में निम्नलिखित शब्द और परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“पत्तन क्षेत्रों में पोत से पत्तनों, टर्मिनलों और परिष्करणियों को और विपर्ययेन परिसंफटमय पदार्थों के अन्तरण के सिवाय :

परन्तु भारत सरकार का भूतल परिवहन मंत्रालय प्रत्येक मामले के आधार पर इस अधिसूचना से संलग्न अनुबंध 3 में यथाविनिर्दिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों के भण्डारण को विद्यमान पत्तनों और बंदरगाहों की वर्तमान पत्तन सीमाओं के भीतर और पत्तनों के उन क्षेत्रों में जिन्हें सी आर जैड-1 के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है, सुरक्षा विनियमों के लागू होने के अध्यक्षीन रहते हुए जिसके अन्तर्गत भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तेल सुरक्षा निदेशालय द्वारा जारी किए गये मार्ग दर्शक सिद्धान्त भी हैं, स्थल की उपयुक्त अवस्थिति और सुरक्षा मानदण्डों के लिए आवश्यक उपस्करों की उपलब्धता तथा किसी दुर्घटना या रिसाव के कारण उद्भूत आकस्मिकता सुनिश्चित करने के पश्चात्, अनुज्ञेय कर सकेगा;

- (2) उप-पैरा (iii) के अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि आधुनिकीकरण के प्रयोजनों के लिए वर्तमान मत्स्य प्रसंस्करण यूनिट विद्यमान तल क्षेत्र तालिका/तल क्षेत्र अनुपात मानदंड के अधीन रहते हुए और इस शर्त के अधीन रहते हुए कि अतिरिक्त कुर्सी क्षेत्र विद्यमान यूनिट के समुद्र की और नहीं होगा और राज्य पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड या पर्यावरण नियंत्रण समिति के अनुमोदन के अधीन रहते हुए केवल अतिरिक्त उपस्कर और पर्यावरण नियंत्रण अध्यापियों के लिए अपेक्षित पच्चीस प्रतिशत अतिरिक्त कुर्सी क्षेत्र का उपयोग कर सकेंगे।;

- (3) उप-पैरा (viii)के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(viii) भूमि पुनरुद्धार समुद्र जल के प्राकृतिक क्रम को समरूप बाधाओं के साथ मेंढ लगाना या उसमें बाधा डालना सिवाय उनके जो पत्तनों बंदरगाहों, जेटियों, घाटों घाट्टियों, ढलानों, पुलों, समुद्रयोजिकों और अन्य सुविधाओं का, जो अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए आवश्यक या जो तटीय कटाव के नियंत्रण और जल मार्गों, जल सरणियों तथा पत्तनों के अनुरक्षण और सफाई के लिए या रेतरोधों के निवारण के लिए या प्जार नियामकों, तूफानी जल नालों के लिए या लवणता के प्रवेश और मधु जल पुनर्भरण के निवारणार्थ संरचनाओं के लिए, निर्माण किया जाना अपेक्षित है।”

- (4) उप-पैरा (0)में परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि भूमि से जल निकाला जाना वहां अनुज्ञेय होगा जहां पानी का कोई अन्य स्रोत उपलब्ध नहीं है और जहां इसे निकालने का कार्य हाथ द्वारा साधारण कुओं या हैंड पम्पों से पेय और घरेलू प्रयोजनों के लिए समुद्रों, खाडियों, मुहानों की दशा में उच्च प्जारीय रेखा से 50 से 200 मीटर के भीतर क्षेत्र में किया जाता है और 200 मीटर या सी आर जैड, जो भी कम हो, नदियों, मंकारी खाडियों और पश्च जलों के मामले में उच्च प्जारियों रेखा से ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए जिन्हें राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पदामिहित प्राधिकारियों द्वारा अधिरोपित करना आवश्यक समझा जाए, किया जाता है उन क्षेत्रों में जो समुद्री जल प्रवेश से प्रभावित हैं।”

3. पैरा 3 के उप-पैरा (2) में खण्ड (ii) और खण्ड (iv)के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(ii)पत्तनों और बंदरगाहों और प्रकाश स्तम्भों के लिए संक्रियात्मक निर्माण तथा क्रियाकलाप जैसे जेटियों, घाटों, घाट्टियों तथा ढलानों के लिए निर्माण :

परन्तु यह कि विद्यमान पत्तनों और बंदरगाहों के जिसके अन्तर्गत मत्स्य बंदरगाह भी हैं, आधुनिकीकरण के विस्तार के लिए सक्रियात्मक निर्माण तथा जेटियों, घाटों, घाट्टियों, ढलानों, एकल बिन्दू मूरिंग तथा एकल उत्प्लावक मूरिंग का निर्माण और विद्यमान पत्तन सीमाओं के भीतर क्षेत्रों में पत्तनों और बंदरगाहों की संक्रियात्मक अपेक्षाओं के लिए आवश्यक सुविधाओं के लिए पुनरुद्धार करना भी सम्मिलित है सिवाय उस क्षेत्र के जो प्रवर्ग सी आर जैड-1(i) के रूप में वर्गीकृत है और जिसके लिए भारत सरकार के जल भूतल परिवहन मंत्रालय ने पर्यावरणीय अनापत्ति अपेक्षित होगी जो इन क्रियाकलापों पर पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण रिपोर्ट के आधार पर विनिश्चय करेगा :

परन्तु यह और कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पुनरुद्धार जैसे व्यापारिक और आवासीय काम्प्लैक्स, होटल और मनोरंजन क्रियाकलाप के लिए अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।”

(iv) ऐसे सभी क्रियाकलाप जिनमें पांच करोड़ रुपयों से अधिक का विनिधान किया गया है सिवाय उन क्रियाकलापों के जिन्हें राज्य/संघ राज्यक्षेत्र स्तर पर इस अधिसूचना के पैरा 6 के उप-पैरा (2) के अनुबंध 1 के उपबंधों के अनुसार सम्यक् प्राधिकारियों द्वारा विनियमित किया जाना है।”

4. अनुबंध 1 के पैरा 6 के उप-पैरा (2) में :—

(1) शीर्ष सी आर जैड-1के अधीन अन्त में निम्नलिखित परन्तुक अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

“परन्तु यह कि औषधालयों, स्कूलों, सार्वजनिकों बर्पा शरणालयों, सामुदायिक शौचालयों, पुलों, सड़कों, जेटियों, जल प्रदाय, नाले

जल मल निकास का निर्माण जो पश्चिमी बंगाल के सुन्दरबन बायोस्फेयर भारक्षित क्षेत्र के पारंपरिक निवासियों के लिए अपेक्षित हैं, प्रत्येक मामले के आधार पर राज्य सरकार द्वारा पदाभिहित प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा”:

(2) शीर्ष सी आर जैड-2 के अधीन मद (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

“विद्यमान सड़क (या क्षेत्र के अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना में प्रस्तावित सड़कों) के भूमि की ओर I या विद्यमान प्राधिकृत संरचनाओं की भूमि की ओर भी सन्निर्माण अनुज्ञेय होगा। विद्यमान और प्रस्तावित सड़कों/विद्यमान प्राधिकृत सन्निर्माण के भूमि की ओर अनुज्ञात भवन, विद्यमान स्थानीय नगर और ग्राम योजना विनियमों जिनके अन्तर्गत तल क्षेत्र तालिका/तल क्षेत्र अनुपात के मापदण्ड भी सम्मिलित हैं, के अधीन रहते हुए होगा।

परन्तु यह कि भवनों के निर्माण के लिए किन्हीं नई सड़क की भूमि की ओर (सिवाय अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंध योजना में प्रस्तावित सड़कों के) जो विद्यमान सड़क के समूह की ओर निर्मित की गई है, अनुज्ञा नहीं दी जाएगी”;

(3) शीर्ष सी आर जैड-III के अधीन,—

(i) नंद(1) में “इस क्षेत्र के भीतर किसी निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी सिवाय विद्यमान प्राधिकृत ऐसी संरचनाओं की मरम्मत के, जो विद्यमान एफ एस आई, विद्यमान कुर्मी क्षेत्र और विद्यमान सघनता से अधिक न हो” शब्दों के स्थान पर “इस क्षेत्र के भीतर किसी निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी सिवाय विद्यमान प्राधिकृत ऐसी संरचनाओं की मरम्मत के जो विद्यमान एफ एस आई, विद्यमान कुर्मी क्षेत्र और विद्यमान सघनता से अधिक न हो और अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलापों के लिए हो जिसके अन्तर्गत ऐसी क्रियाकलापों के लिए आवश्यक सुविधाएं सम्मिलित हैं। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित प्राधिकारी, जल आपूर्ति/जल निकासी, जो स्थानीय निवासियों के लिए आवश्यक हों, की सुविधाओं के निर्माण की अनुज्ञा दे सकेगा” शब्द रखे जाएंगे;

(ii) मद (iii) के अन्त में निम्नलिखित शब्द अन्तः स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

“अधिसूचना के अधीन अनुज्ञेय क्रियाकलाप के लिए अनुज्ञात निर्माण जिसके अन्तर्गत ऐसे क्रियाकलापों के लिए आवश्यक सुविधाएं सम्मिलित हैं। राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा पदाभिहित कोई प्राधिकारी मार्गजनिक् वर्धा शरणालयों, सामुदायिक शौचालयों, जन आपूर्ति, जल निकासी, सड़कों और पुलों के निर्माण की अनुज्ञा दे सकेगा। उक्त प्राधिकारी क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के लिए पंचायतों के लिए जिनका अधिकतम भाग सी आर जैड के भीतर पड़ता है और यदि ऐसी सुविधाओं के निर्माण के लिए अन्य क्षेत्र उपलब्ध नहीं हैं, स्कूलों, और औद्योगिकों के निर्माण की अनुज्ञा भी दे सकेगा।”

5. उक्त अधिसूचना के अनुबंध-2 के पश्चात् निम्नलिखित अनुबंध 3 अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

### अनुबंध-III

[ पैरा 2, उपपैरा (ii) देखिए ]

पत्तन क्षेत्र में भण्डारण के लिए अनुज्ञात पेट्रोलियम उत्पादों की सूची

- (i) अपरिष्कृत तेल
- (ii) तरल पेट्रोलियम गैस
- (iii) मोटर स्मिर्ट
- (iv) कैरोसीन
- (v) वैमानिक ईंधन
- (vi) उच्च गति डीजल
- (vii) स्नेहक तेल
- (viii) ब्यूटेन
- (ix) प्रोपेन

- (x) सम्पीडित प्राकृतिक गैस
- (xi) नेप्या
- (xii) भट्टी का तेल
- (xiii) कम गंधकयुक्त भारी स्टाक

[ सं एच-110011/6/97-आई ए-III ]

आर. एच. खन्ना, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** मूल अधिसूचना भारत के असाधारण राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में सं. का. आ. 114 (अ) तारीख 19 फरवरी, 1991 द्वारा प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात् उसमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

- (i) सं. का. आ. 595 (अ), दिनांक 18 अगस्त, 1994
- (ii) सं. का. आ. 73 (अ), दिनांक 31 जनवरी, 1997

### MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 9th July, 1997

**S.O. 494(E).**—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Environment and Forests No S O 114 (E), dated the 19th February, 1991 (hereinafter referred to as the said notification) Central Government declared Coastal Stretches as Coastal Regulation Zone (CRZ) and restrictions were imposed on the setting up and expansion of industries, operations and processes in the said zone:

And whereas some State Governments have drawn attention of the Central Government to the difficulties being faced by the local people and also for construction of essential facilities in the coastal zone;

And whereas these issues have been examined by the Government of India in the Ministry of Environment and Forests and discussed with other concerned authorities,

And whereas the Central Government is of the opinion that the said notification should be amended;

And whereas sub-rule 4 of rule (5) of the Environment (Protection) Rules, 1986 provides that, "Notwithstanding anything contained in sub-rule (3), whenever it appears to the Central Government that it is in public interest to do so, it may dispense with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the said rules;

And whereas the Central Government is of the opinion that it is in public interest to dispense with the requirement of notice under clause (a) sub-rule (3) of rule 5 of the said rules for amending the said notification;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of the section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rules (3) and (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby makes the following further amendments in the aforesaid notification.

2. In the said notification, in paragraph 2,—

(1) In sub-paragraph (ii) the following words and proviso shall be inserted at the end, namely:—

"except transfer of hazardous substances from ships to ports, terminals and refineries and vice versa, in the port areas:

Provided that Government of India in the Ministry of Surface Transport, on a case to case basis, may permit storage of the petroleum products as specified in Annexure-III appended to this notification within the existing port limits of existing ports and harbours and in those areas of ports that have not been classified as CRZ-I subject to implementation of safety regulations including guidelines issued by Oil Safety Directorate in the Government of India, Ministry of Petroleum and Natural Gas after ensuring proper location of site and availability of necessary equipment to meet the safety norms and the exigencies arising due to any accident or spillage,".

(2) in sub-paragraph (iii) the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"Provided that existing fish processing units for modernisation purposes may utilise twenty five per cent additional plinth area required for additional equipment and pollution control measures only subject to existing Floor Space Index/Floor

Area Ratio norms and subject to the condition that the additional plinth area shall not be towards seaward side of existing unit and also subject to the approval of State Pollution Control Board or Pollution Control Committee.";

(3) for sub-paragraph (viii) the following shall be substituted, namely:—

"(viii) land reclamation, bunding or disturbing the natural course of sea water except those required for construction of ports, harbours, jetties, wharves, quays, slipways, bridges and sea-links and for other facilities that are essential for activities permissible under the notification or for control of coastal erosion and maintenance or clearing of water ways, channels and ports or for prevention of sandbars or for tidal regulators, storm water drains or for structures for prevention of salinity ingress and sweet water recharge ";

(4) in sub-paragraph (x), for the proviso the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that drawal of ground water is permitted, where no other source of water is available and when done manually through ordinary wells or hand pumps, for drinking and domestic purposes, in the zone between 50 to 200 m from High Tide Line in case of seas, bays and estuaries and within 200m or the CRZ, whichever is less, from High Tide Line in case of rivers, creeks and backwaters subject to such restrictions, as may be deemed necessary, in areas affected by sea water intrusion, that may be imposed by an authority designated by State Government/Union Territory Administration."

3. In paragraph 3, sub-paragraph (2), for clauses (ii) and (iv) the following shall be substituted namely:—

"(ii) Operational constructions for ports and harbours and light houses and constructions for activities such as jetties, wharves, quays and slipways:

Provided that for expansion or modernisation of existing ports and harbours including fishing harbours operational constructions for ports and harbours and construction of jetties, wharves, quays, slipways, Single Point Mooring and Single Buoy Mooring and for reclamation for facilities essential for operational requirements of ports and harbours in areas within the existing port limits, except the areas classified as category CRZ-I (i), shall require environmental clearance from Government of India in the Ministry of Surface Transport, which shall take decision on these activities on the basis of Environmental Impact Assessment Report

Provided further that reclamation for commercial purposes such as shopping and housing complexes, hotels and entertainment activities shall not be permissible.";

"(iv) All other activities with investment exceeding rupees five crores except those activities which are to be regulated by the concerned authorities at the State/Union Territory level in accordance with the provisions of paragraph 6, sub-paragraph (2) of Annexure I of the notification."

4. In Annexure I, in paragraph 6, in sub-paragraph (2),—

(1) under heading CRZ-I the following proviso shall be inserted at the end, namely:—

"provided that construction of dispensaries, schools, public rain shelters, community toilets, bridges, roads, jetties, water supply, drainage, sewerage which are required for traditional inhabitants of the Sunderbans Bio-sphere reserve area, West Bengal, may be permitted, on a case to case basis, by an authority designated by the State Government";

(2) under heading CRZ-II, for item (1), the following shall be substituted, namely:—

"Buildings shall be permitted only on the landward side of the existing road (or roads proposed in the approved Coastal Zone Management Plan of the area) or on the landward side of existing authorised structures. Buildings permitted on the landward side of the existing and proposed roads/existing authorised structures shall be subject to the existing local Town and Country Planning Regulations including the existing norms of Floor Space Index/Floor Area Ratio:

Provided that no permission for construction of buildings shall be given on landward side of any new roads (except roads proposed in the approved Coastal Zone Management Plan) which are constructed on the seaward side of an existing road";

(3) under heading CRZ-III,—

(i) in item (i) for the words "No construction shall be permitted within this zone except for repairs of existing authorised structures not exceeding existing FSI, existing plinth area and existing density." the words "No construction shall be permitted within this zone except for repairs of existing authorised structure not exceeding existing FSI, existing plinth area and existing density, and for permissible activities under the notification including facilities essential for such activities. An authority designated by the State Government/ Union Territory Administration may permit construction of facilities for water supply, drainage and sewerage for requirements of local inhabitants" shall be substituted;

(ii) in item (iii) at the end, the following words shall be inserted, namely:—

"Construction is allowed for permissible activities under the notification including facilities essential for such activities. An authority designated by State Government/Union Territory Administration may permit construction of public rain shelters, community toilets, water supply, drainage, sewerage, roads and bridges. The said authority may also permit construction of schools and dispensaries. for local inhabitants of the area, for those panchayats the major part of which falls within CRZ if no other area is available for construction of such facilities."

5. After Annexure II to the said notification the following Annexure III shall be inserted namely :—

#### ANNEXURE-III

[Sec paragraph 2, sub-paragraph (ii)]

##### List of Petroleum Products Permitted for Storage in Port Areas

- (i) Crude Oil ;
- (ii) Liquefied Petroleum Gas ;
- (iii) Motor Spirit ;
- (iv) Kerosene ;
- (v) Aviation , Fuel;
- (vi) High Speed Diesel ;
- (vii) Lubricating Oil ;
- (viii) Butane ,
- (ix) Propane ;
- (x) Compressed Natural Gas ;
- (xi) Naptha ;
- (xii) Furnace Oil ;
- (xiii) Low Sulphur Heavy Stock."

[No. H-11011/6/97-IA-III]

R.H. KHWAJA, Jt. Secy.

**Foot Notes.**—The principal notification was published vide S.O No. 114(E) dated 19th February, 1991 in Part II Section 3, Sub-section (ii) of the Gazette of India Extraordinary and subsequently amended vide :—

- (i) S.O No. 595 (E) dated 18 th August, 1994.
- (ii) S.O. No. 73 (E) dated 31st January, 1997